

# कार्यालय ग्राम पंचायत मालाणा

पं.स. गडरारोड़, जिला-बाड़मेर ( राज. )

मोहम्मद फारुक  
सरपंच

निवास:- हमीराणी, ग्रा.पं.मालाणा,  
पं.स.गडरारोड़ (बाड़मेर)  
मो. 9610508224

क्रमांक :

दिनांक 05/04/2021

सेवामें

श्रीमान तहसीलदार साहब,

गडरारोड़

विषय:- ग्राम पंचायत मालाणा के राजस्व ग्राम मालाणा में पशु शिविर स्वीकृत करवाने बाबत ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं मोहम्मद फारुक (सरपंच) पुत्र श्री सतार खान जाति मुसलमान निवासी हमीराणी ग्राम पंचायत मालाणा तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर का यह है कि:-

- (1) कि सवत 2077 में तहसील गडरारोड़ के ग्राम पंचायत मालाणा के राजस्व ग्राम मालाणा, व छोटी खडीन में भयकर अकाल की स्थिति है ।
- (2) कि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत मालाणा के राजस्व ग्राम मालाणा, व छोटी खडीन में किसी भी प्रकार का पशु शिविर स्वीकृत नहीं है ।
- (3) कि ग्राम पंचायत मालाणा के राजस्व ग्राम मालाणा व छोटी खडीन में छोटे व बड़े 158 पशु हैं ।
- (4) कि ग्राम पंचायत मालाणा के राजस्व ग्राम विवरण:-

क्र. स	राजस्व ग्राम	पशुपालक संख्या	बड़े पशु	छोटे पशु	योग
1	मालाणा	30	49	24	73
2	छोटी खडीन	29	48	37	85
	योग	59	97	61	158

पशु के लिए पशु चारा शिविर स्वीकृत करवाया जावे ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत मालाणा उक्त राजस्व ग्राम मालाणा में पशु शिविर स्वीकृत करवाने की कृपा करावे ।

(मोहम्मद फारुक)  
सरपंच  
ग्राम पंचायत मालाणा  
पं.स.गडरारोड़(बाड़मेर)



राजस्थान RAJASTHAN


BA 643028




### शपथ पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप

मैं मोहम्मद फारुक (सरपंच) पुत्र श्री सतार खान उम्र 35 वर्ष निवासी हमीराणी ग्राम पंचायत मालाणा तहसील गडरा रोड जिला बाड़मेर का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मेरी संस्था का नाम ग्राम पंचायत मालाणा एवं संस्था का पंजीयन संख्या ..... यह है।
2. मेरे पशु शिविर के संचालन का स्थान ग्राम पंचायत मालाणा के राजस्व ग्राम मालाणा तहसील का नाम गडरा रोड जिले का नाम बाड़मेर है। उक्त पशु शिविर केंद्र मालाणा में राजस्व ग्राम मालाणा, व छोटी खडीन को संचालित किया जाता है।
3. मेरे पशु शिविर में वर्तमान में संवत् 2077 कि अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमांत कृषको के द्वारा छोड़े गये 97 बड़े 61 छोटे कुल सघारित हैं।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से मेरे पशु शिविर का आकस्मिक निरीक्षण विडियोग्राफी करवाई जा सकेगी/सकेगा।
5. मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण विडियोग्राफी के दौरान बताई गई संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकती/सकेगा।
6. मैं पशु शिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा/करूंगी।
7. जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालना करूंगा/करूंगी।

  
(मोहम्मद फारुक)  
सरपंच  
ग्राम पंचायत मालाणा  
पं.स. गडरारोड (बाड़मेर)

मैं मोहम्मद फारुक (सरपंच) पुत्र श्री सतार खान निवासी हमीराणी ग्राम पंचायत मालाणा शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 7 तक दिया गया विवरण सही एवं सत्य है।

  
(मोहम्मद फारुक)  
सरपंच  
ग्राम पंचायत मालाणा  
पं.स. गडरारोड (बाड़मेर)